न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन् सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – रणजीत कुमार, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 125/2023

अन्तर्गत धारा 48, 52, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरलाभ सिंह जाति जटसिख निवासी 19 एम एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर

....वादी

–:: बनाम –::

1. सरदुल सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी 19 एम एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
2. गुरलाभ सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी 19 एम एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

—— प्रतिवादीगण

उपस्थित–अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश बतरा — वादी
अधिवक्ता सुश्री पुनम वर्मा — प्रतिवादी 1 व 2
पैरोकार राज — (प्रति.–3)

–:: निर्णय ::–

दिनांक 21.10.2024

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादी के नाम तहसील श्रीगंगानगर के चक 19 एम एल (बख्तांवाली) खाता संख्या–31/16, मुरब्बा नम्बर – 41 किला नं.–22/2 में 0.1265 हैक्टेयर, किला नम्बर–23 में 0.253 हैक्टेयर, किला नं. 24 में 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर–25 में 0.253 हैक्टेयर कुल 0.8855 हैक्टेयर रकबा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है। नकल जमाबन्दी शामिल दावा है। यह कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम चक 19 एम एल. खाता संख्या 20/15 में मुरब्बा नम्बर – 41 किला नम्बर 1 ता 20 कुल 20 बीघा रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उपरोक्त रकबा में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक 19 एम एल के खाता संख्या 68/49 में खसरा संख्या 000000000400001.000 में 0.253 हैक्टेयर रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। नकल जमाबन्दी शामिल प्रार्थना पत्र है। आपसी में दोनो रिश्तेदार होने की वजह से वादी ने अपना रकबा 31/2 बीघा प्रतिवादी सं. 1 को दिया हुआ है जिस पर प्रतिवादी सं. 1 का कब्जा है तथा प्रतिवादी संख्या–1 ने अपनी भूमि चक 19 एम एल खाता नं.–20/15 में 5 बीघा एवं खाता संख्या–68/49 में 1 बीघा कुल 6 बीघा रकबा वादी को दे रखा है जिस पर वादी का कब्जा चला आ रहा है अब भी मौके पर 6 बीघा रकबा वादी के पास है तथा वही काश्त कर रहा है। यह तबादलानामा वादी व प्रतिवादीगण का काफी अरसा पूर्व किया गया था। काफी अरसा से एक दूसरे की भुमि काश्त कर रहे है लेकिन राजस्व रिकार्ड में रकबा जो वादी के कब्जा में है वह प्रतिवादी के के अनुसार दावा की दो प्रतिलिपि व शपथ पत्र शामिल दावा है। वादी के नाम तहसील श्रीगंगानगर के चक 19 एम एल (बख्तांवाली) खाता संख्या–31/16, मुरब्बा नम्बर 41 किला नं.–22/2 में 0.1265 हैक्टेयर, किला नम्बर–23 में 0.253 हैक्टेयर, किला नं. 24 में 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर–25 में 0.253 हैक्टेयर कुल 0.8855 हैक्टेयर रकबा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है। नकल जमाबन्दी शामिल दावा है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम चक 19 एम एल. खाता संख्या – 20/15 में मुरब्बा नम्बर – 41 किला नम्बर–1 ता 20 कुल 20 बीघा रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उपरोक्त रकबा में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक 19 एम एल के खाता संख्या 68/49 में खसरा संख्या 000000000400001.000 में 0.253 हैक्टेयर रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। नकल जमाबन्दी शामिल प्रार्थना पत्र है। आपसी में दोनो रिश्तेदार होने की वजह से वादी ने अपना रकबा 3½ बीघा प्रतिवादी सं. 1 को दिया हुआ है जिस पर प्रतिवादी सं. 1 का कब्जा है तथा प्रतिवादी संख्या–1 ने अपनी भूमि चक 19 एम एल खाता नं.– 20/15 में 5 बीघा एवं खाता संख्या–68/49 में 1 बीघा कुल 6 बीघा रकबा वादी को दे रखा है जिस पर वादी का कब्जा चला आ रहा है अब भी मौके पर 6 बीघा रकबा वादी के पास है तथा वही काश्त कर रहा है। यह तबादलानामा वादी व प्रतिवादीगण का काफी अरसा पूर्व किया गया था। काफी अरसा से एक दूसरे की भुमि काश्त कर रहे है लेकिन राजस्व रिकार्ड में रकबा जो वादी के कब्जा में है वह प्रतिवादी के नाम दर्ज जमाबन्दी में है तथा जो प्रतिवादी के कब्जा में है वह वादी के नाम दर्ज है जबकि जमीन का कब्जा दोनो का अलग–अलग भुमि पर है। वादी के जो कब्जा में है वह वादी के नाम दर्ज ना होने के कारण वादी को लगान करने तथा पानी की पर्ची में बाधा उत्पन्न होती है तथा राज्य सरकार द्वारा जो किसानों के हित में योजना बनायी गयी है उस योजना का लाभ वादी व प्रतिवादी नहीं उठा सकते। जो जमीन वादी के कब्जा में है वादी ने हजारो रूपये खर्चे करके उस जमीन को समतल व जमीन का सुधार करके काबिल काश्त बनाया है इसलिए अब प्रतिवादी के मन में बदनीति आ गयी है इस बदनीति की वजह से राजस्व रिकार्ड में रकबा वादी के नाम नहीं कर रहा जबकि वादी द्वारा मौखिक रूप से कई बार कहा कि कब्जा के अनुसार रकबा अपने अपने नाम करवा लें ताकि राजस्व रिकार्ड में रकबा नाम दर्ज हो सके मगर प्रतिवादीगण द्वारा नाम ना करवाने पर वादी द्वारा पंचायत की तो उसमें पंचायत में प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया इसलिए वादी को वाद लाने के अलावा ओर कोई चारा नहीं रहा है इसलिए यह बिना दावा है। मौखिक रूप से दोनो पक्षों का तबादला किया गया था जब तबादला किया गया था वह अपनी–अपनी सहुलियत के अनुसार किया गया था क्योंकि जिससे वादी की जमीन एकसाथ इकठ्ठी हो सकेगी जिससे पानी लगाने व आने–जाने में आसानी होगी। इसको मद्देनजर रखते हुए ही तबादला किया गया था। जब तबादला किया गया था उस समय जमीन की कीमत में कोई अन्तर नहीं था। दोनो जमीन की समान कीमत थी क्योंकि वादी की जमीन कुछ अधिक उपजाऊ थी इसलिए प्रतिवादी ने वादी को 6 बीघा रकबा देना तय किया गया था तथा 6 बीघा रकबा पर ही वादी काबिज है तथा वादी की जमीन अधिक उपजाऊ होने की वजह से अपनी 3½ बीघा जमीन प्रतिवादी को दी थी जो प्रतिवादी के कब्जा में है, प्रतिवादी के नाम दर्ज की जावे तो वादी को कोई आपत्ति नहीं है तथा प्रतिवादी की जमीन वादी के नाम दर्ज की जावे तो प्रतिवादी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए क्योंकि आपसी में तबादला हो चुका है। विवादग्रस्त भूमि का लैण्ड होल्डर तहसीलदार है इसलिए तहसीलदार को पक्षकार बनाया गया है। वादी का जमीन पर कब्जा 26 वर्षो से चला आ रहा है इसलिए कानूनन वादी कब्जा के आधार पर ही खातेदार बन चुका है इसलिए वादी अपने अधिकारों की घोषणा के लिए वाद प्रस्तुत करने का अधिकारी है। वाद जनाबवाला के क्षेत्राधिकार में है। 10. यह कि वाद अन्दर मियाद है । लिहाजा दावा अन्तर्गत धारा 48,52, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश करके अर्ज है कि दावा निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे :–

(क) यह कि इस अमर की डिक्री जारी की जावे कि वादी के नाम तहसील श्रीगंगानगर के चक 19 एम एल खाता संख्या 20/15 में 5 बीघा एवं खाता संख्या–68/49 में 1 बीघा कुल 6 बीघा रकबा जो प्रतिवादी के नाम दर्ज है उसे वादी के नाम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अंकन किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

(घ) यह कि अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय वादी के हक में उचित समझे वह वादी को दिलाये जाने का आदेश दिया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा आपसी सहमति से प्रकरण में राजीनामा पेश किया गया जिसमें कथन किये गये वादी व प्रतिवादीगण आपसी में रिश्तेदार है तथा पंचायते ने आपसी में दोनो पक्षकारान के बीच में राजीनामा करवा दिया है इसलिए राजीनामा के अनुसार वादी के नाम चक 19 एम एल खाता संख्या – 31 / 16 मुरब्बा नम्बर – 41 किला नम्बर – 22/2 में 0.126 है., 23 में 0.253 है., 24 में 0.253 है., किला नम्बर – 25 में 0.253 है. कुल 0.885 हैक्टेयर रकबा राजस्व रिकार्ड जमावन्दी में दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या – 1 व 2 के नाम चक 19 एम एल खाता संख्या – 20 / 15 मुरब्बा नम्बर – 41 में किला नम्बर – 1 ता 20 कुल 20–00 बीघा रकबा में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या – 1 सरदुल सिंह एवं 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या – 2 गुरलाभ सिंह के नाम है तथा प्रतिवादी संख्या–1 की भूमि चक 19 एम एल खाता संख्या–68/49 एवं 00000000400001000 में मुरब्बा नम्बर–40 किला नम्बर–10 में 0.253 हैक्टेयर एवं चक 19 एम एल में खाता संख्या–20/15 मे 5 बीघा कुल 6 बीघा रकबा वादी देवेन्द्र सिंह के नाम दर्ज किया जावे क्योंकि इस जमीन का कब्जा देवेन्द्र सिंह के पास चला आ रहा है इसलिए उपरोक्त 6 बीघा रकबा प्रतिवादीगण के नाम जमाबन्दी में कलमबन्द करके वादी के नाम दर्ज किया जावे व वादी के नाम चक 19 एम एल खाता संख्या – 31/16 मुरब्बा नम्बर – 41 किला नम्बर–22/2 में 0.126 हैक्टेयर, किला नम्बर–23 में 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर–24 में 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर – 25 में 0.253 हैक्टेयर कुल 3 बीघा 10 बिस्वा रकबा जो वादी के नाम दर्ज है वह प्रतिवादी संख्या – 1 सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे तो वादी व प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं है तथा जमीन का कब्जा भी सरदुल सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह के नाम है तथा दोनो जमीनों की कीमत बराबर है क्योंकि वादी द्वारा जमीन में काफी सुधार किया हुआ है। लिहाजा राजीनामा पेश करके अर्ज है कि राजीनामा के आधार पर वादी देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरलाभ सिंह का रकबा चक 19 एम एल खाता संख्या–31/16 मुरब्बा नम्बर 41 किला नम्बर – 22 में 10 बिस्वा किला नम्बर – 23, 24, 25 प्रत्येक सालम कुल 3 बीघा 10 बिस्वा रकबा वादी के नाम कलमबन्द करके प्रतिवादी संख्या 1 सरदुल सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह निवासी 19 एम एल तहसील श्रीगंगानगर के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में नाम दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण का रकबा चक 19 एम एल खाता संख्या 20/15 मुरब्बा नम्बर 41 किला नम्बर 1 ता 20 में 20 बीघा रकबा जिसमें 1/2 हिस्सा दर्ज है उसमें से 5 बीघा एवं खाता संख्या–68/49 मुरब्बा नम्बर–40 में किला नम्बर–10 में 1 बीघा कुल 6 बीघा रकबा वादी देवेन्द्र सिंह पुत्र गुरलाभ सिंह जाति जटसिख निवासी 19 एम एल बख्तांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर के नाम दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत्–2070 –2073 ग्राम 19 एमएल, पटवार क्षेत्र बख्तावाली(19 एमएल), भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 31/16, जमाबंदी सम्वत्–2070 –2073 ग्राम 19 एमएल, पटवार क्षेत्र बख्तावाली(19 एमएल), भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 68/49, जमाबंदी सम्वत्–2070 –2073 ग्राम 19 एमएल, पटवार क्षेत्र बख्तावाली(19 एमएल), भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 20/15 की प्रति पेश की गई। प्रकरण में वादीगण एवं

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादीगण के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं है। वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य पारिवारिक सहमति हो चुकी है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तवेजात एवम् जमाबन्दी साक्ष्य के अवलोकन से न्यायालय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने योग्य पाता है।

हमने इस सम्बंध में आरआरडी 1981 पेज 512 आरटीए की धारा 40–53, 38–39–40, आरआरडी 1966 पेज 71 एआईआर 1976 ;एससीद्ध पेज 807 व 178

आरआरडी पेज 219 आरआरडी 1975–478, एआईआर 1966 (एससी) 432 आरआरडी 1975 पेज 489 की नजीरों का अवलोकन किया।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्युद्ध अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। हिन्दु उतराधिकार विधि के अनुसार का पैतृक सम्पंति में जन्म से ही अधिकार है।

मुताबिक एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है।

–:: आदेश ::–

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादी देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरलाभ सिंह का रकबा चक 19 एम एल खाता संख्या–31/16 मुरब्बा नम्बर 41 किला नम्बर 22 में 10 बिस्वा किला नम्बर 23, 24, 25 प्रत्येक सालम कुल 3 बीघा 10 बिस्वा रकबा वादी के नाम कलमबन्द करके प्रतिवादी संख्या 1 सरदुल सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह निवासी 19 एम एल तहसील श्रीगंगानगर के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है एवम् प्रतिवादीगण का रकबा चक 19 एम एल खाता संख्या 20/15 मुरब्बा नम्बर 41 किला नम्बर 1 ता 20 में 20 बीघा रकबा जिसमें 1/2 हिस्सा दर्ज है उसमें से 5 बीघा एवं खाता संख्या–68/49 मुरब्बा नम्बर–40 में किला नम्बर–10 में 1 बीघा कुल 6 बीघा रकबा वादी देवेन्द्र सिंह पुत्र गुरलाभ सिंह जाति जटसिख निवासी 19 एम एल बख्तांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर के नाम दर्ज किये जाने का अदेश दिया जाता है। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

उक्त वर्णित भूमि पर ऋृण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य अन्तरित होने वाली भूमि के कम ज्यादा के अन्तर वाली भूमि की गणना कर उस भूमि का बेचान की दशा में लगने वाले स्टाम्प शुल्क के बाराबर स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने के पश्चात् नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 21.10.2024 को जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कलेरी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर एवम्
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner